

11.02.2026

वकील वार्दीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में वकील मय वार्दी को आवान दिलवाई गई। लेकिन वकील व वार्दी में से कोई आरक्षित नहीं हुआ है। लिट्टाजा वार्दी को बाद अदम पैरवी व अदम डालिरी में खारिज किया जाता है। फत्वावली फैसल सुमार होकर दाखिल इफतर हो।

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा